न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– कमला अलारिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 01/2022

1. सलीम मोहम्मद पुत्र कमालदीन जाति मुसलमान (मनिहार) निवासी बागोली तहसील उदयपुर वाटी हाल आबाद वार्ड न. 11 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
2. अनवर अली पुत्र कमालदीन जाति मुसलमान (मनिहार) निवासी बागोली वाटी हाल वार्ड न. 11 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
3. फिरोज खां पुत्र कमालदीन जाति मुसलमान (मनिहार) निवासी बागोली वाटी हाल वार्ड न. 11 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
4. मंजूर खां पुत्र कमालदीन जाति मुसलमान (मनिहार) निवासी बागोली वाटी हाल वार्ड न. 11 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़

जरिये मुख्तयार आम सलीम मोहम्मद पुत्र कमालदीन जाति मुसलमान (मनिहार) निवासी बागोली तहसील उदयपुर वाटी जिला झूंझनू

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–
1. अधिवक्ता अपीलांट श्री सुरेन्द्र सुथार
2. पैरोकार राज

दिनांक: 23-3-22

निर्णय

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के निर्णय दिनांक 15.04.2006 जिसके द्वारा अपीलांटस के पिता कमालदीन पुत्र जमालदीन का रोही सूरतगढ़ के खसरा न. 355/6 की 6.325 है0 टी.सी. आवंटित रकबा नगरपालिका सीमा यानि पैराफैरी आना मानकर, टीसी आवंटन नियमों की शर्तो का उल्लंघन मानकर आवंटी कमालदीन का उक्त आवंटन खारिज कर दिया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी।
2. अपील मीमो संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.04.2006 अपीलांटस को बिना सुने, बिना साक्ष्य के जारी कर अपीलांटस के पिता का संवत् 2036 से टी.सी. आवंटन रकबा अपने ही कयासो के आधार पर मृतक के विरूद्व निर्णय करके खारिज कर दिया। अपीलान्टस के पिता को को उक्त भूमि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते सन 1995 के प्रावधानो के अन्तर्गत संवत् 2036 में अस्थाई पट्टा पर आवंटित हुई थी, जिसका आवंटन सें लेकर लगातार नवीनीकरण होता रहा तथा अपीलांटस के पिता के फौत हो जाने के पश्चात यह रकबा अपीलांटस की माता एवं अपीलांट्स के नाम से नवीनीकरण हुआ है। अपीलांट्स की माता के फौत हो जाने के उपरांत आवंटी की जायज वारिस होने नाते अपीलांट्स के नाम पर टीसी आवंटन दर्ज हो चुका था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ ने दिनांक 01.5.1997 को कमांक /भू.अ./1873 दिनांक 01.5.1997 से उक्त टीसी का का नवीनीकरण अपीलांट के नाम से कर रकम कायम कर दी थी। तत्पश्चात उक्त रकबा की रकम अपीलांट्स द्वारा जमा करवायी जा रही थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.04.2006 में यह अंकित किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक उक्त भूमि नगरपालिका की परिधि में आ चुकी है, इसलिए नवीनीकरण नही किया जा सकता। मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के पिता के नाम का टी.सी. आवंटित रकबा नगरपालिका पैराफरी क्षेत्र में आना मानकर उक्त टी.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

सी. आवंटित रकबा खारिज फरमा दिया गया व कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश दे दिये। रिपोर्ट के संदर्भ में पटवारी हल्का के शपथ पत्र व ब्यान नही लिए गये। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय की सूचना अपीलांट को नही दी। मातहत न्यायालय ने अपीलांट के पिता के नाम का उक्त टी.सी. आवंटित रकबा नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में मानकर खारिज कर दिया जबकि अपीलांट के पिता कमालदीन के नाम से उक्त टीसी आवंटित रकबा रकबा शहरी क्षेत्र के पैराफेरी क्षेत्र से 2 किमी की ज्यादा दूरी पर है अधीनस्थ न्यायालय की उक्त पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है जिससे यह सिद्व हो सके कि अपीलांट के पिता के नाम से आवंटित रकबा नगरपालिका सीमा के 2 किमी की परिधि में है। अपीलांट के पिता की मृत्यु 1992 में हो चुकी थी। मातहत न्यायालय की पत्रावली के फर्द अहकाम दिनांक 10.4.2006 में भी अंकित है कि अप्रार्थी फौत हो चुका है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.04.2006 को निर्णय पारित किया गया जो मृतक के विरूद्व पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूमि शहरी क्षेत्र के पैराफेरी क्षेत्र में आने व वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम 1996 के अंतर्गत आराजी कब्जा काश्त को निरस्त किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट्स के पिता के नाम से आवंटित उक्त टीसी रकबा का समय–समय पर नवीनीकरण होता रहा है व रकम कायम होती रही तथा अपीलांट्स के पिता के जीवन काल में अपीलांट्स के पिता का तथा उसके बाद जायज वारिसान का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है। अपीलांट्स ने उक्त भूमि को सुधार कर काबिल काश्त बनाया। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट्स के पिता के नाम से आवंटित उक्त टी.सी. आवंटन खारिज करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अपीलाधीन आदेशों में वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम का हवाला दिया गया जबकि उक्त नियम 1996 में बने एवं प्रश्नगत भूमि वर्ष 1970 से ही भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आवंटित होकर निरंतर अपीलांट के पिता के जीवन में अपीलांट्स के पिता का उनकी मृत्यु उपरांत उनके जायज वारिस होने के नाते अपीलांट्स के कब्जा काश्त में चली आ रही थी। पैराफेरी क्षेत्र स्थित भूमि के खातेदारी अधिकार देने के नियम व पद्वति तथा प्रणाली राज्य सरकार द्वारा प्रसारित की जा चुकी है। अपीलांट्स उक्त रकबा के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की कानूनी अधिकारी है। अपीलाधीन आदेश न्यायोचित निर्णय की परिभाषा में नही आता, क्योंकि उक्त निर्णय, प्रिटेंड प्रर्फोमा पर ही जारी किया गया है। जिसमें अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने विवेक का प्रयोग नही किया गया। उक्त निर्णय साइक्लोस्टाईल निर्णय की परिभाषा में आता है तथा उक्त निर्णय मृतक के विरूद्व भी पारित किया गया है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे व अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.04.2006 निरस्त फरमाया जावें।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सुथार उपस्थित हुए तथा पैरोकार राज हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना अपीलाधीन आदेश मृतक के विरूद्व दिनांक 15.04.2006 पारित किया है, क्योंकि अपीलांट के पिता कमालदीन की मृत्यु सन 1992 को हो चुकी थी। इस रकबा पर अपीलांट मृतक कमालदीन के जायज वारिस होने से टीसी नवीनीकरण अपीलांट के नाम दर्ज हो जाने से टीसी आवंटी की हैसियत से काविज होकर काश्त करते आ रहे है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनें, बिना साक्ष्य के अपीलांट के पिता के नाम का 45 वर्ष पुराना टी.सी. आवंटन अपने ही कयासो के आधार पर मृतक व्यक्ति के विरूद्व आदेश पारित कर आवंटन खारिज कर दिया। न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1999 पेज 346 व आरवीजे 2001 पेज 133, में मियाद का प्रश्न निर्णय की जानकारी के पश्चात उठता है। आरआरटी 2008 (2) पेज 1216, आरबीजे 2013 पेज 226, आरआरटी 2017 पार्ट–I पेज 125 (एचसी) में यह माना है कि एक मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित आदेश शुरू से ही शून्य हैं। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अनवान देवीलाल चर्तुवेदी बनाम फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट में निर्णय पारित करते हुए यह माना है कि मृतक व्यक्ति के विरूद्व पारित निर्णय शुरू से ही शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूमि पैराफेरी में आने व वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम 1996 के अंतर्गत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

आराजी काश्त को निरस्त किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्घांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट्स के नाम का उक्त टी.सी. आवंटन समय–समय पर नवीनीकरण होता रहा व रकम कायम होती रही तथा अपीलांट्स के पिता के फौत होने के पश्चात जायज वारिस की हैसियत से अपीलांट्स का कब्जा बदस्तूर बना रहा। अपीलांट्स ने उक्त भूमि को सुधार कर काबिल काश्त बनाया। मातहत न्यायालय ने अपीलांट्स का टी.सी. आवंटित रकबा नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में मानकर खारिज कर दिया जबकि अपीलांट का उक्त रकबा नगरपालिका की सीमा परिधि से 2 किमी से ज्यादा दूरी पर है अधीनस्थ न्यायालय की उक्त पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है जिससे यह सिद्व हो सके कि अपीलांट का रकबा नगरपालिका सीमा के 2 किमी की परिधि में है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि तहसीलदार टी.सी. आवंटन खारिज करने में सक्षम नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के जिन परिपत्रों का हवाला जैरअपील निर्णय में दिया है वे इस प्रकरण में लागू नहीं होते। उक्त परिपत्र वेस्ट लैण्ड भूमियों के संबंध में थे जबकि अपीलांट्स की भूमि कृषि योग्य भूमि है। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार उक्त शक्तियां जिला कलक्टर को दी गयी है। उक्त कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट्स ने कानूनी नजीर आरआरडी 2017 पेज 447, आरआरटी 2008 (1) नोटिफिकशन न. एफ 9 (15) रेवन्यू 6/2005 पेज 33, आरएलडब्लयू 2016 (I) रेवन्यू पेज 415, आरआरडी 1992 पेज 117, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निगरानी प्रकरण संख्या 8376/2006 अनवान मल्लूराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2013 की प्रतियों की ओर ध्यान दिलाया। जिनमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने टीसी आवंटन निरस्त करने का अधिकार तहसीलदार का ना मानकर निगरानियां स्वीकार की है। अपीलांट्स मृतक कमालदीन की जायज वारिस है तथा अपीलांट के नाम उक्त रकबा की रकम भी कायम हो चुकी है तथा अपीलांट्स उक्त रकबा की खातेदारी प्राप्त करने के व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्व अपील पेश करने का कानूनी हकदार है। चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलांट की पीठ के पीछे पारित किया गया है तथा अपीलाधीन आदेश मृतक के विरूद्व पारित किया है अतः अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र पेश कर अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करने तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने तथा मातहत न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 15.04.2006 खारिज किया जाने बाबत निवेदन किया।

5. पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि टी.सी. आवंटन एक वर्ष हेतु किया जाता है। उसके उपरान्त उक्त भूमि नगरपालिका की पेराफैरी व मास्टर प्लान में आ गयी, जिसके खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते तथा ना ही पुख्ता आवंटन किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।
6. हमने बहस उभय पक्षकारान ध्यानपूर्वक सुनी तथा उस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। चूंकि अपीलांट्स मृतक कमालदीन के जायज वारिस है तथा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 01.5.1997 को अपीलांट के नाम नवीनीकरण स्वीकार कर रकम कायमी के आदेश भी जारी कर दिये है इसलिए अपीलांट हितबद होने से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्व अपील पेश करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अतः अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।
7. अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का रेस्पोडेंट ने कोई विरोध नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट्स को बिना सुने पारित किया गया है तथा अपीलाधीन आदेश मृतक के विरूद्व पारित किया गया है। अपीलांट्स ने अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय क्षेत्राधिकारविहीन है। ऐसे निर्णय को कभी भी निरस्त कराया जा सकता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

अतः अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय दिनांक 15.06.2006 में यह तथ्य स्वीकार किया है कि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 355/6 की 6.325 है0 बारानी भूमि मृतक कमालदीन पुत्र जमालदीन को टी.सी. आवंटन हुई थी व उसके फौत होने पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 01.5.1997 को उक्त रकबा का अपीलांट के नाम नवीनीकरण कर रकम कायमी का आदेश पारित किया जा चुका है तथा उक्त टीसी आवंटन लगातार नवीनीकृत होता रहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन में राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 का हवाला देते हुए अपीलांट्स के पिता के नाम का उक्त टी.सी. आवंटन खारिज किया है। इसके अलावा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें, 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत वेस्टलैण्ड हेतु बने सन 1996 के नियमों के अंतर्गत उक्त आवंटन खारिज किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिपत्र दिनांक 15.12.2005 औद्योगिक या अन्य अकृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के संबंध में है जो कि इस प्रकरण में लागू नहीं होते, क्योंकि जैरप्रकरण भूमि अपीलांट को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी थी। इसी प्रकार राज्य सरकार का परिपत्र क्रमांक प. 9 (25) राज/16/2004/4 दिनांक 08.02.2006 शहरों में पैराफेरी क्षेत्र में आवंटित वेस्ट लैण्ड के संबंध में है, वह भी इस प्रकरण में लागू नहीं होते। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार जिला कलक्टर महोदय को है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आलोच्य निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कूननी नजीर आरआरडी 2017 पेज 447, आरआरटी 2008 (1) नोटिफिकशन न. एफ 9 (15) रेवन्यू 6/2005 पेज 33, आरएलडब्लयू 2016 (i)रेवन्यू पेज 415, आरआरडी 1992 पेज 117 तथा आरबीजे 2013 पेज 226 व आरआरटी 2017 पार्ट–1 पेज 125 (एचसी) का अवलोकन किया गया जिनमें माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने टीसी निरस्त करने का अधिकार तहसीलदार को ना होकर जिला कलक्टर को होना माना है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अपीलांट का टीसी आवंटन तहसीलदार सूरतगढ़ ने निरस्त किया है, जो पूर्णतः क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया है। इस प्रकार अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कूननी प्रकरण में भलीभांती चस्पा होते है, इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 15.04.2006 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किसना अलारिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़